



2026: AHC: 48872-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या -32312/2014

स्त्री मुक्ति संगठन, सचिव निधि मिश्रा के माध्यम से याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : स्मृति कार्तिकेय, ताहिर हुसैन, विशाल कश्यप

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.के. गोयल (ए.सी.एस.सी.), अनुराग खन्ना

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यद्यपि यह मामला 'इस उच्च न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु सबसे पुराने लंबित मामलों' की श्रेणी में सूचीबद्ध है, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. इस न्यायालय द्वारा 05.02.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में, वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह संकेत दिया गया है कि सी.बी.आई. द्वारा एक 'क्लोजर रिपोर्ट' (मामला बंद करने की रिपोर्ट) दी गई थी, जिसे अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 10, बदायूं द्वारा 28.10.2015 को खारिज कर दिया गया था और एक आरोपी पप्पू को विचारण के लिए तलब किया गया है। तब से विचारण जारी है और अगली नियत तिथि 06.02.2026 थी। अब तक अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमें वर्ष 2014 में दायर की गई वर्तमान याचिका को जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखता है। तदनुसार, इसे निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

10 मार्च, 2026

पी. श्री./एस.एल.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।